District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 126 of 2017

Jamui Sc.St. P.S. Case No.-35 /2016)

Date of Judgement : 09-06-2026

State of Bihar through informant Jhaghru Manjhi Vs. Kailash Saw & others

बिहार राज्य द्वारा सूचक झगरू मांझी

बनाम

1. **किशोर साव,** उम्र 60 वर्ष, पिता–स्व0 तीतू साव,
2. **मुकेश साव,** उम्र 34 वर्ष, पिता–कैलाश साव,
3. **भरत साव** उम्र 30 वर्ष, पिता–कैलाश साव,
4. **रंजीत साव** उम्र 36 वर्ष, पिता–कैलाश साव,
5. **फुटुस साव,** उम्र 31 वर्ष, पिता–किशोर साव,

सभी निवासी ग्राम–ढ़ीबा, थाना–झाझा, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–09.06.2026

निर्णय

1. कांड के सूचक झगरू मांझी पिता–प्यारे मांझी के द्वारा थानाध्यक्ष, एस0सी0/एस0टी0 जमुई थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर एस0सी0/एस0टी0 जमुई थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–35/2016 के रूप में भा0द0वि 341, 323, 427, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्तगण के पक्ष में अंतिम प्रतिवेदन घटना को असत्य दर्शाते हुए समर्पित किया था, किंतु विद्वान न्यायलय ने पुलिस के अंतिम प्रतिवेदन (Final Form) को अस्वीकार कर कांड दैनिकी में उपलब्ध कथित सामग्री के आधार पर इस मामले में भा0द0वि0 की धारा 323 एवं 341 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया।

2. कांड के सूचक झगरू मांझी पिता–प्यारे मांझी द्वारा थानाध्यक्ष, थाना जमुई एस.सी./एस.टी. को दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि ग्राम केशोपुर के ढीबा स्थित बहियार में उषा शर्मा के जमीन में तीन कट्ठा में बटईया खेती करता था,

जिसमें करीब 2 माह पहले बाजरा (बड़गैंहूआ) लगाया था। आज दिनांक 29.07.2016 समय करीब 11:00 बजे दिन शुक्रवार को खेत पर गया तो देखा कि कैलाश साव, किशोर साव, मुकेश साव, भरत साव, रंजीत साव, फुटुस साव, सभी लोग उसके बाजरा लगे खेत में अपना–अपना गाय एवं बकरी को चरा रहे थे, चराने से मना किया तो साला, मादरचोद, मुसहर कहकर गाली देने लगे और लप्पड़–थप्पड़ करने लगे तथा नरेटी पकड़कर धकेल दिया। अगल–बगल के खेत में काम कर रहे आदमी दौड़कर आया तो उसे अधिक मार खाने से बचाया।

3. अभियुक्त कैलाश साव, किशोर साव, मुकेश, साव, भरत साव, रंजीत साव एवं फुटुस साव के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2018 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे इन्होंने इंकार किया एवं विचारण की मॉंग की। **उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.12.205 को अभियुक्त कैलाश साव की मृत्यु के कारण उसके विरूद्ध इस मामले में कार्यवाही समाप्त की गयी।**

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए सात साक्षियों 1. पवन कुमार साव, 2. देबू साव, 3. उषा शर्मा, 4. मिंटू कुमार शर्मा, 5. झगरू मांझी (सूचक), 6. चंदन कुमार उर्फ सौरभ अरूणी, 7. पप्पु साव का साक्ष्य करवाया गया है।

5. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए तीन साक्षियों 1. नवीन कुमार, 2. कपिलदेव साव, एवं 3. अनुज कुमार सिंह का साक्ष्य करवाया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–37/2019 का निर्णय, जो विद्वान अपर समाहर्ता, जमुई द्वारा पारित है, दाखिल किया गया है।

6. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 पवन कुमार साव** एवं **2 देबू साव** ने अपने–अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि **किसी प्रकार की घटना नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसने कहा कि यहां कोई घटना नहीं घटी।** फलतः अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर इन दोनों साक्षियों को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया।

State of Bihar through informant Jhaghru Manjhi Vs. Kailash Saw & others

8. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 उषा शर्मा** पति कृष्ण देव शर्मा ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.07.2016 समय 11 बजे दिन की है। उसने अपने खेत में मक्का की फसल लगाई थी। वह और उसका बेटा मिन्टू कुमार उर्फ शांतनु सुमन और चंदन कुमार उर्फ सौरभ आरूणी मकई का खेत देख रहे थे। हल्ला हुआ तो ये लोग दौड़कर अपने बटाईदार झगरू मांझी के खेत पर पहूंचे तो देखा कि कैलाश साव, भरत साव, रंजीत साव, मुकेश साव, किशोर साव, फुटुस साव सभी मिलकर अपने मवेशी से उसके खेत को चरा रहे थे। यह खेत उसने झगरू मांझी को बटाई पर दिया था। जब झगरू मांझी ने इसका विरोध किया तो अभियुक्तों ने साला, मादरचोद, मुसहर कहकर गाली देते हुए झगरू मांझी को कहा कि यह उसका (अभियुक्तगण) इलाका है और यहां बटाई पर खेती नहीं करने देंगे। सभी अभियुक्तों ने झगरू मांझी को लप्पड़ थप्पड़ से मारपीट किया और उसका गर्दन पकड़ कर उसे धक्का दे दिया। साक्षी अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** (Cross Examination) के दौरान पैरा–4 से 22 में साक्षी ने कथन किया है कि जिस जमीन पर उसने झगरू मांझी को बटाई पर खेती करने को कहा था वह जमीन उसकी खतियानी जमीन नहीं है। वह नहीं कह सकती है कि जमीन गैरमजरूआ है या नहीं। वह जमीन उसके ससुर के नाम बंदोबस्त हुई थी। इस जमीन में कैलाश साव का भी हिस्सा है। इस जमीन की रसीद उसके (साक्षी के) नाम से कटती है। **उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अपर समाहर्ता जमुई के द्वारा उस जमीन के संबंध में उसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि वह उक्त बात छिपा रही है।** वह अपनी जमीन का खाता, प्लॉट, रकवा नहीं बता सकती है। झगरू मांझी उसके खेती बाड़ी का देखभाल करता था। उसे छः एकड़ जमीन है। **झगरू मांझी केवल बंदोबस्ती वाली तीन कट्ठा जमीन पर खेती बाड़ी करता था।** इस जमीन के पूरब में शंकर साव की जमीन है, पश्चिम में सड़क है, **उत्तर में फूलों यादव की जमीन है तथा दक्षिण में उमेश यादव का घर है। चौहद्दी वालों ने घटना को नहीं देखा था।** झगरू मांझी ने घटना के बारे में नहीं बताया था। उसने स्वयं घटना देखी थी। झगरू मांझी ने उससे पूछ कर केस नहीं किया था। **इस घटना के साक्षी वह और उसके पुत्र है। घटना के समय 35–40 लोग इकट्ठा हुए थे। उसे उनमें से किसी का नाम याद नहीं है।** झगरू को कितना थप्पड़ मार लगी थी, वह नहीं कह सकती। कैलाश साव की जमीन की चौहद्दी नहीं बता सकती है। **कैलाश साव के जमीन के पास ही उसकी जमीन है। उसकी जमीन पर बाउंड्री है, मकान बना हुआ है और दो पंपिंग सेट लगा हुआ है।** झगरू मांझी ने घटना के एक दो माह पहले बाजरा लगाया था। बाजरा लगाने की तारीख नहीं बता सकती। उसने झगरू मांझी को मौखिक बटाई दी थी। उसका कोई कागज नहीं बना था। ऐसी बात नहीं है कि गांव के नाली के पानी का निकास उसी जमीन पर है जिसे वह कथित रूप से अपनी जमीन कहती है। ऐसी बात नहीं है कि उस जमीन पर बाजरा नहीं लगा था और झगरू मांझी के साथ कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्तगण को परेशान करने के लिए झगरू मांझी से झूठा मुकदमा करवाया गया है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 4 मिंटू कुमार शर्मा पिता कृष्णदेव शर्मा** ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.07.2016 दिन 11 बज रहा था। उषा शर्मा के खेत के बगल में वह मकई देख रहा था। हल्ला सुनकर वह दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि झगरू मांझी ने उषा शर्मा के खेत में बटाई पर तीन कट्ठा भूमि में बाजरा का फसल लगाया था। झगरू मांझी उस समय फसल देखने के लिए घटनास्थल पर गया था। वहां के स्थानीय व्यक्ति कैलाश साव, किशोर साव, रंजीत साव, मुकेश साव, भरत साव एवं फुटूस साव सभी मिलकर अपने अपने गाय–बकरी से झगरू माझी के बटाई खेत में लगा बाजरा का फसल चरा रहे थे। चराने से मना किया तो उक्त सभी लोगों ने साला, मादरचोद, मुसहर कहकर गाली गलौज करने लगे और नरेटी पकड़ कर धकेल दिया। उक्त सभी अभियुक्त मिलकर झगरू मांझी के साथ मिलकर लप्पड़ थप्पड़ करने लगे। वहां के स्थानीय लोग दौड़कर आये और अधिक मार खाने से बचाया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि उसे जमीन का खाता–खसरा का नंबर याद नहीं है। यह जमीन उसके दादा राम प्रसाद मिस्त्री के नाम से सन् 1939 में प्राप्त हुआ, जिसका कागज उसके पास है। 2015 से झगरू को बटाई पर खेत दिया था। किस महीने में बटाई दिया यह उसे याद नहीं है। **झगरू उसका बटाईदार है। जमीन काफी लंबा और बड़ा है। उसका 5 एकड़ 72 डिसमिल है और अन्य जमीन अन्य रैयत के नाम से है, जिनमें अभियुक्त कैलाश साव के पिता, दुखी गोप, फूलो यादव इत्यादि के नाम से भी है।** बाजरा का फसल किस महीना में झगरू ने लगाया था, यह उसे याद नहीं है। **जिस खेत में बाजरा का फसल झगरू ने लगाया था, उसके उत्तर में फूलो यादव और दरोगी यादव का खेत है, दक्षिण उमेश यादव का खपरैल मकान, पूरब में शंकर साह का खेत तथा पश्चिम में सड़क है।** घटना 11 बजे दिन की है। सड़क चालू है। **जिन लोगों का जमीन है इन लोगों ने घटना देखा है।** झगरू को नरेटी पकड़कर धकेल दिया और तथा उसके पूरे शरीर में मारा। पैर और हाथ में कितने जगह मारा याद नहीं है। शरीर के किस किस जगह मारा, उसे याद नहीं है। वह बगल में अपना मकई का खेत देख रहा था। हल्ला हुआ तो उस समय झगरू खड़ा था, खेत के किस तरफ झगरू खड़ा था, याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि झगरू को किसने किस तरफ से मारा और किस तरफ से गाली दिया। केस उसने नहीं करवाया है। पुलिस में उसका बयान हुआ था। दिनांक 01.08.2016 को उसका बयान पुलिस में हुआ था। उसका अभियुक्तों से पूर्व का दुश्मनी नहीं है। **उसकी मां ने अभियुक्तों के विरूद्ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का केस किया था जो एस0सी0/एस0टी0 के केस के संबंध में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया गया बाकी अन्य धाराओं में मुकदमा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जमुई में न्यायालय में चल रहा है।** उसे याद नहीं है कि नरेटी कही नोचाया था या नहीं। खून नहीं गिरा था। उसे नहीं पता कि झगरू कोई डॉक्टर को दिखाया था या नहीं। **वह (यह साक्षी) उस जमीन पर दावा करता है।** वह नहीं कह सकता है कि ए0डी0एम0 साहब के न्यायालय से इसका जमीन का मलिकाना हक खत्म हो गया है। उसने पटना में इस जमीन का अपील अंचल अधिकारी,

बिहार सरकार एवं ए0डी0एम0 साहब जमुई के विरूद्ध किया है। यह कहना गलत है कि जमीन हड़पने के लिए अभियुक्तों के विरूद्ध झूठा केस किया है क्योंकि यह जमीन सार्वजनिक हित की है। **यह कहना भी गलत है कि झगरू को उठाकर उसने केस करवाया है।** यह कहना भी गलत है कि उसने जैसा बयान दिया है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या 5 झगरू मांझी (सूचक)** ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना साढे सात साल पहले 11 बजे दिन की है। वह उस समय बाजरा का खेत देखने गया था। उस खेत में बकरी और मवेशी चर रहे थे। उसने मना किया तो मादरचोद, मुसहर कहकर कैलाश साह, किशोर साह, फुटो साह, मुकेश साह, भरत साह तथा एक अन्य नाम ना मालूम कुल छः व्यक्ति ने गाली गुप्ता दिया। उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तों ने उसका नरेटी पकड़ कर मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण ने लप्पड़ थप्पड़ और मुक्का से मारने लगे तो वह गिर गया। अगल बगल के लोग बचाने के लिए दौड़े। घटना के संबंध में उसके द्वारा एक टंकित आवेदन थाना में दिया था। उसके कहे अनुसार आवेदन टंकित किया गया जिसे उसने सुनकर एवं सही पाकर अपना हस्ताक्षर बनाया जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-1/P.W. 5 अंकित किया गया है। एक अन्य अभियुक्त का नाम रंजीत साह है। अभियुक्तों को पहचानता हूँ। **प्रतिपरीक्षा** (Cross Examination) के दौरान में साक्षी ने पैरा 5–16 कथन किया है कि केशोपुर गांव कितने घरों की बस्ती है वह भूल गया है। **वह खेत उषा शर्मा (अभियोजन साक्षी सं0–3) का है।** वह उस खेत को बटाई पर करता है। **उस समय खेत घेरा हुआ नहीं था।** घटना के बाद उषा शर्मा, पिन्टू शर्मा, चिन्टू शर्मा आये थे। उस समय वह गिरे हुए अवस्था में नहीं था बल्कि खड़ा था। उसके शरीर से खून नहीं निकला था। **अलग बगल के खेत में लोग काम कर रहे थे। उनका नाम वह नहीं बात सकता है, क्योंकि वह भूल गया है। ये लोग उसके ही गांव के थे। घटना के संबंध में आवेदन कम्प्यूटर से टाइप करा कर दिया था। आवेदन जमुई में टाइप कराये थे। घटना के दिन ही टाइप कराकर दिया था।** उसके साथ टाइप कराने के समय और कोई नहीं था। जब वह मार खाकर गिरा तो बाजरा का खेत थोड़ी दूर रौंदा गया। वह उस जगह को पुलिस को दिखाया था। **उसने अपने चोट का ईलाज अपने गांव में ही दवा ले लिया था। वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता है, जिससे दवा लिया था। वह आदमी दूसरे गांव का था। वह झोला में दवाई लेकर घुमता है।** वह घटना के बारे में गांव के मुखिया एवं सरपंच को नहीं बातया। वह 6–7 साल से उषा शर्मा को बटाईदार है। **ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त कैलाश साह ने अपर समाहर्ता जमुई के न्यायालय में उषा शर्मा के विरूद्ध घटनास्थल वाली जमीन के संबंध में मुकदमा किया था और इसी कारण से उसको (सूचक को) खड़ा कर, यह झूठा मुकदमा किया। उसे मालूम नहीं है कि जमीन संबंधी मुकदमे में उषा शर्मा बगैरह अभियुक्त कैलाश साह से हार गयी है।** ऐसी बात नहीं है कि वह उषा शर्मा के कहने पर झूठा मुकदमा किया है और कोई घटना नहीं घटी है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या 6 चंदन कुमार उर्फ सौरभ अरूणी पिता कृष्णदेव शर्मा** ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.07.2016 को समय करीब 11:00 बजे दिन की है। उस समय वह अपना खेत पर था, देखा कि कैलाश साव, किशोर साव, मुकेश साव, भरत साव, रंजीत साव, फुटुस साव ये सब अपने अपने गाय, बकरी से बाजरा का फसल चरा रहे थे। उसके बाद झगरू मांझी चराने से मना किया तो **उसको साला, मादरचोद, मुसहर बटैया मत करो यह उसका एरिया है।** उसके बाद जब गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण लप्पड़–थप्पड़ से पीटने लगे और नरेटी दाबकर धकेल दिया। अगल–बगल के किसान के आने पर झगरू को साक्षी ने अधिक मार खाने से बचाया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** (Cross Examination)के दौरान साक्षी ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसका नाम चंदन कुमार उर्फ सौरभ अरूणी है। चंदन कुमार, जो उसका नाम है वह आधार कार्ड पर नहीं है अपितु आधार कार्ड सौरभ अरूणी के नाम से है। जिसका आधार संख्या 517478491688 है। **उसके नाम से तीन आधार कार्ड है। उसका एवं उसके घर के लोगों का अभियुक्तगण से जमीन का मुकदमा चल रहा है या नहीं, अभी उसे याद नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जमीन का, जो मुकदमा हुआ था वह ए0डी0एम0, हाई कोर्ट से हार गए थे।** जमीन का खाता, खेसरा, उसे याद नहीं है। झगरू मांझी गत 10 वर्ष से इस जमीन का बटैया ले रहा है। जमीन गांव के पूर्व में स्थित है। वह जमीन उसकी खतियानी जमीन है। अभियुक्तगण का जमीन वहीं पर है इसको नहीं मालूम है। हिन्दी के किस माह की घटना है उसको नहीं मालूम है और कौन दिन की घटना है नहीं कह सकता। इस घटना को गांव के पप्पु साह, झगरू यादव, प्रकाश यादव एवं सुरेश यादव ने देखा है। मुखिया और सरपंच ने इस घटना को नहीं देखा था। कितना मवेशी था वह नहीं कह सकता है। कितना बकरी था यह भी नहीं कह सकता है। घटनास्थल पर वह हल्ला होने पर पहुंचा। **जब वह पहुंचा था तो झगरू मांझी अपने घर के तरफ भाग रहा था।** वह हल्ला भी नहीं किया कि क्यों भाग रहे हो? **झगरू को कहॉ–कहॉ चोट लगा था, वह नहीं कह सकता।** अभियुक्तगण उसके गांव के हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसने न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या 7 पप्पु साव** ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.07.2016 की है। समय करीब 11:00 बजे दिन का था। उस समय वह उसी गांव में लहसुन प्याज बेच रहा था तो हल्ला हुआ तो वह वहां पर देखने गया तो देखा कि बकरी एवं जान माल से बाजरा का खेत चरा रहा था जो झगरू मांझी का था। कैलाश साव, किशोर साव, मुकेश साव, भरत साव, रंजीत साव, फुटुस साव यह सब अपने गाय बकरी से बाजरा का फसल चरा रहा था। ये लोग झगरू मांझी से गाली गलौज एवं झगड़ा कर रहे थे। झगरू मांझी को लप्पड़–थप्पड़ से मारा तथा कन्ठी पकड़कर ढकेल दिया। उसके बाद वह (साक्षी) वहां से चला गया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** (Cross

Examination) के दौड़ान पैरा–3 से 22 में कथन किया है कि वह गांव में लहसुन एवं प्याज बेचता है। हल्ला सुनने पर वह घटनास्थल पर गया। जब वह घटनास्थल पर गया तो उसने नहीं देखा कि झगरू मांझी गिरा था या खड़ा था। उसे नहीं मालूम कि वह बेहोश था या होश में था। उसने हल्ला में सुना था कि लड़ाई झगड़ा एवं गाली गलौज हो रहा था। उसने सौ गज की दूरी से सुना एवं देखा था। घटनास्थल से वह किस दिशा में खड़ा था, उसे याद नहीं है। कितना बकरी और कितना गाय चर रहा था उसने जानवरों की गिनती नहीं की थी। उसने झगरू के शरीर से खून बहते नहीं देखा था। झगरू मांझी को लप्पड़ थप्पड़ से मारा था और कंठी पकड़कर धकेल दिया था। उसे नहीं मालूम है कि प्रश्नगत भूमि के लिए उषा शर्मा और मंटू से अभियुक्तों का झगड़ा चल रहा है या नहीं। घटनास्थल वाली जमीन का चौहदी उसे नहीं मालूम है। घटनास्थल पर 40 आदमी थे, लेकिन वह नहीं बता सकता है कि उसके बाद कौन आया था। वह उसी गांव का रहने वाला है। वह नहीं कह सकता है कि अभियुक्तों का वहां पर जमीन है। वह नहीं कह सकता कि वहां पर कोई मुखिया एवं सरपंच भी आया था। बाजरा कौन महीना में लगाया गया था वह नहीं कह सकता है लेकिन बाजरा झगरू मांझी ने लगाया था। वह नहीं बता सकता कि कौन कौन गाली दिया था। ऐसी बात नहीं है कि आज वह उषा शर्मा के साथ आया है और ऐसी बात भी नहीं है कि यह मुकदमा उषा शर्मा एवं मंटू सिंह ने जमीन विवाद के कारण सूचक को मोहरा बनाकर पेरशान और दबाव बनाने के लिए यह केस करवाया है। ऐसी बात नहीं है कि वह आज न्यायालय में झूठी गवाही दिया है।

13. **बचाव साक्षी संख्या 1 नवीन कुमार** ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि दिनांक 29.07.2016 समय करीब 11:00 बजे दिन में उस समय वह अपने मकई के खेत में था। **उस समय झगरू मांझी के साथ कैलाश साव, भरत साव, रंजीत साव, किशोर साव, फुटुस साव सभी मिलकर कोई मारपीट एवं गाली–गुप्ता नहीं किये थे। झगरू मांझी ने उषा देवी एवं मंटू शर्मा के कहने पर यह झूठा मुकदमा किया। आम गैरमजरूआ जमीन एवं गोचर पर कब्जा करने के लिये झूठा मुकदमा करवाया था। झगरू मांझी उषा शर्मा के घर पर रहता है और उसका घर को काम करता है।** झगरू मांझी उसका जमीन बटाई पर नहीं जोतता है। जमीन पर कब्जा करने के लिये झूठा मुकदमा करवाया। साव जी भले आदमी हैं एवं सीधा–साधे लोग है। इनलोग मारपीट एवं गाली गलौज नहीं किये थें। अभियुक्तगण उषा शर्मा को जमीन पर कब्जा करने से विरोध करते थे। क्योंकि वह जमीन गैरमजरूआ आम एवं गोचर भूमि एवं गांव का निकासी है एवं उस जमीन में नाले का पानी भी जाता है इसी से क्षुब्द्ध होकर उषा शर्मा ने झूठा केस करवाया। इस जमीन को लेकर अभियुक्तगण ने ए0डी0एम0 के यहां मुकदमा किया, जिसमें उषा शर्मा का जमाबंदी खारिज हो गया। इसी को लेकर वह झूठा गवाही लाकर करवाना शुरू किया। कथित जमीन पर कोई पंपिंग सेट लगा हुआ नहीं था। झगरू मांझी ने अभियुक्तों के खिलाफ झूठा केस किया था। **प्रतिपरीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

State of Bihar through informant Jhaghru Manjhi Vs. Kailash Saw & others

14. **बचाव साक्षी संख्या 2 कपिलदेव साव** ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.07.2016 को 11.00 बजे दिन को आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों के द्वारा कोई घटना कारित नहीं किया गया था। झगरू मांझी से उषा शर्मा ने यह झूठा केस करवाया। उषा शर्मा ने जमीन हड़पने के लिए यह झूठा केस करवाया है। झगरू मांझी घटनास्थल पर उषा शर्मा का कोई भी जमीन बटाई नहीं करता है। घटनास्थल वाली जमीन गैरमजरूआ जमीन है और वह गांव का निकास है तथा उसमें गांव का नाला का पानी जाता है। ए0डी0एम0 साहब के यहां से झगरू मांझी का जमाबंदी खारिज हो चुका है। इस जमीन पर कोई पंपिंग सेट नहीं लगा हुआ है। झगरू मांझी ने अभियुक्तों के खिलाफ झूठा केस किया है। **प्रतिपरीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि वह जिस केस में गवाही देने आया है उसका नम्बर नहीं बता सकता है। उसे गवाही हेतु नोटिस नहीं गया था। उसे गवाही हेतु अभियुक्तगण लाये हैं।

15. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

16. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिकी टंकित (Typed) है। मामले में अभियोजन साक्षी सं0–1 पवन साव एवं अभियोजन साक्षी सं0–2 देव साव ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा में ही कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, जैसा कि प्राथमिकी में है। **अभियोजन साक्षी सं0–1 एवं 2 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि पुलिस को भी पुछताछ में कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी।** अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि **मामले में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं हुआ है।** प्राथमिकी के अनुसार कांड का सूचक झगडू मांझी, उषा शर्मा (अभियोजन साक्षी सं0–3) की 3 एकड़ जमीन बटाई में जोत आबाद करता था। उसने इस जमीन पर बाजरा लगाया था। घटना तिथि को वह 11 बजे अपने खेत में था तो देखा कि अभियुक्तगण, जो संख्या–6 थे, उसके खेत को अपने गाय एवं बकरी से खेत को चरा रहे थे। उसने (सूचक ने) चराने से मना किया तो उसे साला, मादरचोद, मुसहर कहकर गाली दी एवं लप्पड़ थप्पड़ से मारने लगे तथा नरेटी पकड़कर धकेल दिया। यहां उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी में यह दर्ज नहीं है कि कितनी गाय एवं बकरी चरा रहे थे। झगरू मांझी (अभियोजन साक्षी सं0–5) ने भी अपने साक्ष्य में नहीं कहा है कि कितनी गाय एवं बकरी चरा रहे थे। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी के अनुसार तीन कठ्ठा जमीन छः व्यक्ति (अभियुक्तगण) कथित रूप से गाय एवं बकरी चरा रहे थे। **यहां यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष का कथन है कि अभियोजन साक्षी सं0–3 उषा शर्मा से अभियुक्तों**

का भूमि विवाद है तथा कांड के सूचक झगरू मांझी, उषा शर्मा (अभियोजन साक्षी सं0–3) का कर्मी है तथा उसकी जाति का लाभ उठाकर भूमि विवाद के कारण यह झूठा कांड दर्ज करवाया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि प्रदर्श D-1 जो विद्वान अपर समाहर्ता, जमुई का निर्णय है, के अवलोकन से विदित होता है कि इस निर्णय द्वारा उषा शर्मा (अभियोजन साक्षी सं0–3) की जमाबंदी भूमि से भूमि के गैरमजरूआ होने के कारण निरस्त की गयी है। यहां उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी टंकित (Typed) है। कांड के सूचक झगडू मांझी (अभियोजन साक्षी सं0–5) ने प्रति परीक्षा के दौरान पैरा–9 में कहा है कि घटना के संबंध में आवेदन थाने पर टाईप करवाकर दिया था। यह आवेदन घटना के दिन जमुई में टाईप करवाया था। पैरा–11 में कहा है कि चोट के इलाज के लिए गांव में दवा लिया था। उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, जिससे दवा लिया था,दवा देने वाला व्यक्ति दूसरे गांव का था। वह व्यक्ति झोला में दवाई लेकर घुमता है। पैरा–9 में कथन किया है कि अगल बगल के खेत में लोग काम कर रहे थे। इन काम करने वाले व्यक्तियों का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि वह भूल गया है। वे लोग उसके गांव के ही थे। यहां उल्लेखनीय है कि साक्षी के अनुसार घटना देखने वाले उसके अगल बगल के खेत में काम कर रहे थे। उसका यह भी कथन है कि वे उसके गांव के थे, फिर भी नाम नहीं बता सकता है। सूचक ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कहा है कि मारपीट से वह गिर गया, जबकि प्राथमिकी में गिरने की बात नहीं कही गयी है। मेरे विचार से सूचक के साक्ष्य से ही परिलक्षित होता है कि वह सब कुछ सत्य नहीं बोल रहा है। **अभियोजन साक्षी सं0–3 उषा देवी अपने प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में कथन किया है कि इस जमीन पर कैलाश साव (अभियुक्त) का भी हिस्सा है। अतः मेरे विचार से इस मामले में भूमि विवाद स्वीकृत है। पैरा–8 में साक्षी कहती है कि उसे नहीं मालुम है कि अपर समाहर्ता, जमुई द्वारा इस जमीन के संबंध में उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रदर्श D–1 से स्पष्ट है कि विद्वान अपर समहर्ता ने इस साक्षी की जमाबंदी रद्द की है तथा उषा देवी उस वाद के विपक्षी है।** पैरा 10 में अभियोजन साक्षी सं0–3 उषा शर्मा ने कथन किया है कि झगरू मांझी (कांड का सूचक) उसकी खेती की देखभाल करता है। पैरा 15 में यह साक्षी कहती है कि घटना के समय 35–40 व्यक्ति थे, किंतु उनमें से किसी का नाम याद नहीं है। पैरा 20 में कथन किया है कि झगरू मांझी को मौखिक बटाई पर दी थी, उसका कोई कागज नहीं बना था। यहां उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी 4 मिंटु कुमार शर्मा एवं अभियोजन साक्षी सं0–6 चंदन कुमार दोनों उषा शर्मा अभियोजन साक्षी सं0–3 के पुत्र है, ने कहा है कि ये दोनों भी घटना के समय उपस्थित थे। **प्राथमिकी एवं अभियोजन साक्षियों के अनुसार अभियुक्तगण निहते थे तथा उन पर गाली देने एवं हाथ से लप्पड़ थप्पड़ करने तथा नरेटी दबाकर धक्का देने का आरोप है। अपने बटाईदार के साथ, इस कथित कृत्य को होता देख कोई बचाव ना करना यह अस्वाभिक कृत्य है तथा उषा देवी एवं उनके दोनों पुत्रों की निष्क्रियता, उषा देवी एवं उसके दोनों पुत्रों की कथित घटना के समय, घटनास्थल पर उपस्थिति या प्राथमिकी की सत्यता को मेरे विचार से गंभीर रूप से संदेह युक्त (Doutfull) करती है।** अभियोजन साक्षी सं0–6 चंदन कुमार

SC/ST Case no. 126 of 2017

Jamui Sc.St. P.S. Case No.-35 /2016)

Date of Judgement : 09-06-2026

State of Bihar through informant Jhaghru Manjhi Vs. Kailash Saw & others

(उषा कुमारी का पुत्र) ने **पैरा 5 में कहा है कि उसे याद नहीं है कि उसका एवं उसके घर के लोगों का अभियुक्तों के साथ जमीन का मुकदमा चल रहा है या नहीं। मेरे विचार से यह तथ्य भूलने वाला नहीं है। साक्षी के इस कथन से मेरे विचार से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी 6 चंदन कुमार सत्य छिपा रहा है। यहां उल्लेखनीय है कि पुलिस ने अनुसंधानक्रम में घटना को असत्य पाया था तथा मामले में अंतिम प्रतिवेदन (Final form) समर्पित किया था।** इन सभी तथ्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323 सभी सपठित एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे (Beyond shadow of all reasonable doubt) साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. किशोर साव, 2. मुकेश साव, 3. भरत साव** 4. **रंजीत साव 5. फुटुस साव,** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323 सभी सपठित एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे	सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह	अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं
जनजाति, जमुई।	जनजाति, जमुई।
दिनांक–09.06.2026	दिनांक–09.06.2026

vvebcopy